नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी	तारीख	हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		हवाला	
	16	वकील फरीकेन उप० तादाद्य प्रतिवादी में प्रतिवादिया का शपथ पत्र पेश किया जिसकी नकल दी गई पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक 5/5/16 को पेश हो। [signature]	
	20/6/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित नहीं है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 7/5/16 को पेश हो। [signature]	
	7/9/16	वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार वास्ते जिरह दिनांक 21/9/16 को पेश हो। [signature]	
	21/9/16	वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार वास्ते जिरह दि० 5/10/16 को पेश हो। [signature]	
	5/10/16	वकील फरीकेन उप० प्रतिवादी ... उर्फ बिलाणा ने जिरह रिकार्ड की गई। प्रतिवादी का वकील और कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली रखना। जिस पर वादी वकील अपनी खंडन में भी कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 19/10/16 को पेश हो। [signature]	
	19/10/16	वकील फरीकेन उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/10/16 को पेश हो। [signature]	
	26/10/16	वकील फरीकेन उप० दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम हो। [signature]	

क्रम की ता
में जारी हु

पीठासीन अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
103/11	दावा	21.12.11	26.10.16

काड्या पुत्र सोन्या आयु 86 साल जाति मीना निवासी किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली(राज)

-वादी

ब्नाम

1. किलाण बैरवा पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी किराडी।
2. रामसहाय पुत्र मेवा बैरवा जाति बैरवा निवासी किराडी।
3. रतनलाल पुत्र विशन्या जाति मीना निवासी किराडी।
4. श्रीलाल पुत्र रामदेव
5. श्रीचन्द पुत्र रामदेव
6. अमरू पुत्र रामदेव
7. रामलाल पुत्र उंकारया जाति धोवी।
8. रामस्वरूप पुत्र रंगलाल जाति बैरवा।
9. धन्नी बेवा धूड्या जाति बैरवा।
10. रामपति बेवा मंगल जाति बैरवा।
11. रामकन्या पत्नि राम प्रसाद जाति बैरवा।
12. अनोखी पत्नि कमल बैरवा जाति बैरवा।

सभी निवासीयान किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली राज.।

13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली राज.।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः- श्री कुंज बिहारी शर्मा वकील वादी।
श्री मदनमोहन गुप्ता वकील प्रतिवादीगण

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है वादी ने यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 242/1/2 रकबा 110 बीघा वाके ग्राम किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। उक्त भूमि खसरा नंम्बर भूमिहीन किसानों को सन् 1960 में सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका मौके पर कब्जा दिया गया तभी से वादी लगातार कब्जाकाश्त बनाये हुये है वादी के हक में हुए आवंटन की नकल 3.10.1960 दावा के साथ पेश है वादी को अलोट भूमि काड्या पुत्र सोन्या जाति मीना निवासी किराडी तहसील सपोटरा जिला करौली के नाम से हुई थी जो आंवटन आदेश में सही दर्ज है इसके पश्चात वादी का नाम काड्या के स्थान पर कजोड्या दर्ज हो गया एवं जाति सम्वत् 2033 से 2036 सही मीना दर्ज हुई किन्तु 2036 के बाद मीना के स्थान पर बैरवा दर्ज हो गयी है। प्रतिवादी न. 1 चालाक किश्म का आदमी रहा है राजस्व कर्मियों से मिलकर मुझ वादी के नाम व जाति का अपने नाम व अपनी जाति बदलवाकर चढवाकर अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड में करवा लिया है और चालाकी पूर्ण तरीके से आपराधिक षड्यंत्र करकर बैंक ऑफ बडौदा शाखा हाडौती से उक्त भूमि को गिरवी रखकर लोन ले लिया है। सही कजोड्या बैरवा के स्थान पर काड्या पुत्र सोन्या अपने नाम को दूरूस्त करवाने एवं अपनी जाति बैरवा के स्थान पर मीना करवाने का अधिकारी है, गलत हुए इन्द्राज को रेवेन्यू रिकार्ड से हटवाकर दूरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अपनी जमाबंदी की नकल पटवारी

हल्का हाडोती के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने बाबत् फाईल तैयार करवाने गया तो पटवारी द्वारा वादी का नाम खातेदारी इन्द्राज में नहीं होना बताया गया तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2011 को नकल आवंटन आदेश दिनांक 03.10.1960 व जमाबंदी प्राप्त की। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 20.09.2011 को इन्द्राज दुरूस्त की कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा फर्जी तरीके से लोन प्राप्त करने व जमीन को कुडक करवाने की एवं बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी गयी। तब वादी ने ये वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है अंत में दावा वादी डिक्री कर विवादित भूमि में वादी का नाम कजोड्या के स्थान पर काड्या मीना पुत्र सोन्या मीना व वादी की जाति बैरवा के स्थान पर मीना की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्यता से पाबंद कराने के लिए निवेदन किया है और दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है ।

दावा वादी दर्ज कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी नम्बर 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया एवं अन्य प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव देही की कि विवादित जमीन खसरा नम्बर 242/1 ग्राम किराडी तहसील सपोटरा में स्थित है जो भूमिहीन किसानों प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2ता 13 के पितागण मेवा पुत्र गंगाधर, मंगल पुत्र बरीया, गंगोलया पुत्र सोन्या, सोन्या पुत्र मगला, किलाण पुत्र उंकारया, घूड्या पुत्र भागीरथ, कजोडया पुत्र भम्बू, गोविन्दा पुत्र कोरया, रामलाल पुत्र उंकारया, रंगलाल पुत्र छीतर जातियान चमारान निवासी किराडी को दिनांक 27.08.60 को आवंटित कर आंवटियों को कब्जा दिया जाकर दिनांक 03.10.60 को तहसीलदार सपोटरा द्वारा आंवटन पट्टा जारी किया गया। वादी को कोई आवंटन खसरा न 242/1 में नही किया गया आवंटन सभी जाति चमारान के भूमीहीन किसानों को किया गया है। उन सभी की जाति चमारान दर्ज है योम आवंटन आदेश दिनांक 03.10.60 से प्रतिवादी नं 1 बतौर खातेदार काश्तकार है। वादी का उक्त विवादित भूमि पर कोई कब्जाकाश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। आवंटन प्रतिवादी नं0 1 को काड्या पुत्र सोन्या जाति चमार निवासी किराडी के नाम से हुआ था। प्रतिवादी को काड्या उर्फ कजोड्या उर्फ किलाणा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। राजस्व रिकार्ड में काडया के स्थान पर कजोडया सहबन से दर्ज हुआ है और जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 में प्रतिवादी के नाम के आगे जाति चमार (बैरवा) के स्थान पर मीना जाति सहबन से दर्ज हुआ है जिसे सम्वत् 2036 में लिपिकीय भूल होने से संशोधित कर पुनः जाति चमार (बैरवा) दर्ज किया गया है। प्रतिवादी चालाक किश्म का व्यक्ति नहीं है प्रतिवादी ने राजस्व कर्मियों से मिल कर कोई परिवर्तन नाम व जाति में नहीं करवाया है बल्कि आवंटन आदेश दिनांक 03.10.60 के तहत प्रतिवादी के हक में विधिवत् इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये गये है। खसरा न 242/1/2 में प्रतिवादी की 10 बीघा जमीन है जिसका वह खातेदार एवं काश्तकार है जिसे उसे रहन वय करने का विधिक अधिकार है। उसने कोई आपराधिक षढयंत्र नही किया है। वादी प्रतिवादी के समान नाम व पिता का नाम समान होने से उक्त जमीन को गलत तौर पर हड़पना चाहता है। वादी खातेदारी इन्द्राज दुरस्त करवाने व हटवाने का अधिकारी नही है। दावा वादी निराधार है। वादी कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। इन आधारों पर वादी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज करने की प्रार्थना की है।

अन्य प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आये जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दु निर्मित किये गये है।

1. आया आराजी खसरा नं0 242/1/2 रकबा 110 बीघा स्थित ग्राम किराड़ी 1960 में 11 भूमिहीन किसानों को आवंटित की गई थी तथा कब्जा दिया था तभी से वादी का कब्जा बरकरार है? —वादी
2. आया वादी का नाम आवंटन आदेश मे (काडया पुत्र सोन्या) सही होने के बावजूद जमाबंदी मे काडया के स्थान पर कजोड़या हो गया तथा सं0 2036 के बाद जाति मीना के स्थान पर बैरवा गलत दर्ज हो गया जिसका प्रतिवादी सं0 1 ने गलत फायदा उठाया और जमीन अपने नाम करवा ली? —वादी
3. आया वादी उक्त खसरा नं0 के राजस्व रिकार्ड मे कजोड़या बैरवा के स्थान पर काड्या पुत्र सोन्या मीना दुरस्त करवाने का अधिकारी है? —वादी

5. आया उक्त आवंटन सभी जाति बैरवा के भूमिहीन किसानों को किया गया था?
-प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादी नं0 1 का नाम काड़या उर्फ कजोड़या उर्फ किलाणा राजस्व रिकार्ड मे काड़या के स्थान पर कजोड़या सहवन से दर्ज हुआ है, सं0 2033-36 की जमाबंदी मे प्रतिवादी नं0 के नाम के आगे जाति मीना सहवन से दर्ज हुई जिसे सं0 2036 मे संशोधित कर पुनः बैरवा(चमार) दर्ज की गई? -प्रतिवादीगण

7. आया वादी राजस्व रिकार्ड दुरस्त कराने के अयोग्य है तथा वाद खारिज योग्य है?
-प्रतिवादीगण

8. अनुतोष?

बाद विवाधक बिन्दु साक्ष्य वादी ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे पी. डब्ल्यू-1 काड़या मीना के बयान लेखबद्ध कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सं0 2062-65 प्रदर्श-1 व एलॉटमेंट पट्टा दिनांक 3.10.1960 प्रदर्श-2 एवं जमाबंदी सं0 2033-36 प्रदर्श-3 के रूप मे प्रदर्शित कराये गये। साक्ष्य वादी समाप्त की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी मे प्रतिवादी सं0 1 स्वयं का मौखिक बयान डी.डब्ल्यू-1 काड़या उर्फ कजोड़या उर्फ किलाणा के रूप मे प्रदर्शित कराया और अन्य साक्ष्य किसी के द्वारा नही की गई है और साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त की गई।

बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वादी व प्रतिवादी सं0 1 के विद्वान अधिवक्तागण के अपने अपने अभिवचन अनुरूप तर्क रहे है और इसी अनुरूप साक्ष्य का अपने अपने पक्ष मे पठन किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता की मुख्य दलील यह रही कि विवादित आराजी वादी काड़या पुत्र सोन्या जाति मीना निवासी किराड़ी को दिनांक 27.8.1960 को आराजी खसरा नं0 242/1/2 रकबा 110 बीघा ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा मेवा वगैरहा 11 भूमिहीन किसानों को आवंटित की जाकर दिनांक 3.10.1960 को वादी व मेवा वगैरहा के हक मे पट्टा आवंटन जारी किया गया है और तभी से वादी उक्त आवंटित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। परन्तु सं0 2033-36 के बाद राजस्व रिकार्ड मे वादी की जाति मीना के स्थान पर बैरवा व काड़या के स्थान पर कजोड़या नाम प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व कर्मियों से मिलकर गलत दर्ज करा लिया है और इसके बाद प्रतिवादी नं0 1 ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हाड़ौती को गलत तोर पर रहन रख दिया हैं जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 को दिनांक 27.8.60 को आवंटित नही हुई है। वादी उक्त भूमि के 1/11 हिस्सा भमि यानि 10 बीघा की खातेदारी घोषणा अपने हक कराने एवं समस्त राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरस्त कराने का हकदार है और प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का हकदार है और वाद वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी नं0 1 का बहस मे कथन है कि विवादित भूमि प्रतिवादी नं0 1 व मेवा वगैरहा को आवंटित दिनांक 27.8.1960 को हुई है जिसका विधिवत पट्टा दिनांक 3.10.1960 प्रतिवादी नं0 1 व अन्य 10 भूमिहीन किसानों को जो सभी जाति (चमारान) बैरवा है के हक मे जारी किया गया है। वादी या मीना जाति के किसी भी व्यक्ति को इस भूमि का आवंटन नही किया गया है। आवंटन आदेश मे दर्ज सभी आवंटी चमार (बैरवा) जाति के है। उक्त आवंटन से प्रति0 सं0 1 आवंटित भूमि पर अन्य आवंटियों के साथ बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। सम्बत् 2033-36 की जमाबंदी मे प्रतिवादी के नाम के आगे मीना जाति चमार (बैरवा) के स्थान पर सहवन दर्ज हुई है। जिसे सम्बत् 2036 मे लिपिकीय भूल होने से संशोधित कर पुनः जाति चमार (बैरवा) दर्ज किया गया है। वादी गलत तौर पर सम्बत् 2033-36 की जमाबंदी मे हुये मीना जाति इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 से हड़पना चाहता है। प्रतिवादी नं0 1 को भूमि को रहन वय करने व काश्त करने का विधिक अधिकार खातेदार काश्तकार होने से है और अन्त मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त रिकार्ड का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार हैः-

दिनांक 3.10.1960 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है एवं स्वयं का मौखिक बयान दिया है। प्रदर्श–2 मे काड़या पुत्र सोन्या जाति चमार (बैरवा) व 10 अन्य आवंटी मेवा वगैरहा जाति सभी चमारान(बैरवा) निवासी किराड़ी का नाम अंकित है। जिसको प्रति0 नं0 1 ने अपने मौखिक बयान से भी भूमि चमारान जाति के ग्यारह भूमिहीन आवंटियों को आवंटित होना व वादी का या मीना जाति के किसी व्यक्ति को आवंटन नही होना बताया है। मात्र सम्बत् 2033–36 मे प्रतिवादी नं0 1 के आगे जाति बैरवा (चमार[9 के स्थान पर मीना सहवन से दर्ज हो गयी है जिसे पुनः सम्बत् 2036 मे संशोधित किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि भमि वादी को आवंटित नही हुई है बल्कि प्रतिवादी नं0 1 को आवंटित हुई है। ऐसी स्थिति मे विवाधक नं0 1 वादी के विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

विवाधक नं0 2 को साबित करने का भार वादी पर है। विवाधक नं0 1 के विवेचन से ही विवाधक नं0 2 का विवेचन स्वतः ही जाता है। जमाबंदी सम्बत् 2033–36 मे प्रतिवादी नं0 1 की जाति बैरवा(चमार) के स्थान पर मीन सहवन दर्ज हुयी थी जिसे सम्बत् 2036 मे पुनः लिपिकीय भूल होने से सही जाति चमार(बैरवा) संशोधित किया गया है। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कोई गलत खातेदारी इन्द्राज कराये हो ऐसा वादी अपनी साक्ष्य मे इस विवाधक को साबित नही कर सका है ना ही वादी द्वारा मीना जाति का कोई आवंटन आदेश एवं सम्बत् 2033 से पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड स्वयं के खातेदारी इन्द्राज का प्रस्तुत नही किया गया है। अतः विवाधक नं0 2 वादी के विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष मे तय किया जाता है।

विवाधक नं0 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने इस सम्बन्ध मे नकल जमाबंदी सम्बत् 2033 से 2036 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है। परन्तु वादी ने इससे पूर्व का कोई राजस्व रिकार्ड अपने खातेदारी का प्रस्तुत नही किया है, ना ही आवंटन आदेश प्रस्तुत किया है बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश प्रदर्श–2 प्रतिवादी सं0 1 के नाम भूमि आवंटित होने का है। ऐसी स्थिति मे विवाधक सं0 3 वादी के विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे तय किया जाता है।

विवाधक नं0 4 ता 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर है। इस सम्बन्ध मे स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दि0 3.10.1960 स्वयं प्रतिवादी नं0 1 व अन्य आवंटी मेवा वगैरहा जिनकी सभी की जाति चमारान(बैरवा) आवंटन आदेश मे दर्ज है। जिसका समर्थन प्रतिवादी नं0 1 ने अपनी मौखिक साक्ष्य से किया है। जिसके खण्डन मे वादी द्वारा ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड एवं आवंटन आदेश खसरा नं0 242/1/2 रकबा 110 बीघा ग्राम किराड़ी का प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वादी को उक्त भूमि आवंटित हुयी हो या सम्बत् 2033–36 से पूर्व खातेदारी रही हो। ऐसी स्थिति मे विवाधक सं0 4 ता 7 प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष मे वादी के विरूद्ध तय किये जाते है।

विवाधक सं0 8 अनुतोष है। विवाधक सं0 1 ता 7 के विवेचन से वादी विवादित आराजी खसरा नं0 242/1/2 रकबा 110 बीघा 10 बिस्वा ग्राम किराड़ी तहसील सपोटरा का दिनांक 3.10.1960 को अपने ह कमे आवंटित होना सिद्ध नही करने से असफल रहा है। वादी मात्र सम्बत् 2033 से 2036 मे विवादित भूमि मे प्रतिवादी सं0 1 की जाति चमार(बैरवा) के स्थान पर मीना सहवन दर्ज होने से भूलवश हुये मीना जाति के इन्द्राज के सबब वाद भूमि प्रति.0 नं0 1 को हड़पने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वादी अपने वाद को साबित करने मे एवं वादी उक्त आराजी का आवंटन अपने हक मे दिनांक 3.10.1960 को होने को साबित करने मे असफल रहा है। ऐसी स्थिति मे दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2016 को खुल न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा(करौली)